न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रा0पत्र संख्या– 58 / 2024
GCMS No.2024/85

सुवाराम पुत्र माडूराम निवासी तातीजा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना, राज0

.... प्रार्थी

ब–ना–म

1. अमीलाल पुत्र गणपत
2. भंवर लाल पुत्र शैतान
3. मायाचन्द पुत्र शैतान
4. जडावली पत्नी शैतान
5. शीशराम पुत्र सरदारा
6. मनीषा देवी पत्नी रघुवीर
   जाति गुर्जर निवासीगण तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
7. सुशीला देवी पत्नी गुगनराम
8. कपिल पुत्र गुगनराम
9. मनोज कुमार पुत्र गुगनराम
   जाति ब्राहमण निवासीगण तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
10. आशा देवी पुत्री गुगनराम पत्नी पवन कुमार निवासी लाम्बी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
11. रेखा पुत्री गुगनराम पत्नी गुलाब निवासी लाम्बी सहड तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू, राज0
12. मैना पुत्री गुगनराम पत्नी सुनिल शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट नालपुर तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना, राज0
13. सुमन पुत्री गुगनराम पत्नी अनिल शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट नालपुर तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना, राज0
14. गुरूदयाल पुत्र मुखराम
15. छाजूराम पुत्र मुखराम
16. मालीराम पुत्र मुखराम
17. ताराचन्द पुत्र गणपतराम
18. रामस्वरूप पुत्र गणपतराम
19. पार्वती देवी पत्नी नोरंगलाल
20. रोहिताश्व पुत्र नोरंगलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.14 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

जाति ब्राह्मण निवासीगण तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

21. सम्पत देवी पत्नी महावीर प्रसाद शर्मा ग्राम पोस्ट बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना, राज0

22. दुलीचन्द पुत्र इन्द्राज

23. गड़ाराम पुत्र इन्द्राज

24. रामजीलाल पुत्र इन्द्राज

25. तारादेवी पत्नी दुलीचन्द

जाति गुर्जर निवासीगण तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

26. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबन्धक

27. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक

28. बड़ौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर जरिये शाखा प्रबन्धक

29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढ़ी

अन्तर्गत धारा 128 / 111 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक 05–06–2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 379 के ख.नं. 1531 / 1341 रकबा 1.70 है. एवं इसी ग्राम में स्थित भूमि खाता सं. 320 में दर्ज ख.नं. 1174 रकबा 0.39 है. का प्रार्थी एकांकी खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 29 के नाम से दर्ज भूमि ख.नं. 555, 1103 प्रार्थी की भूमि ख.नं. 1531 / 1341, 1174 के उत्तर व पूर्व दिशा में लगीत है एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 व लिक्ष्मण पुत्र माला के नाम से दर्ज भूमि ख.नं. 1532 / 1341 व अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 व रूघवीर पुत्र शैतान लिक्ष्मण पुत्र माला की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1173 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1174 के दक्षिणी हिस्से के पश्चिम दिशा में व प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1531 / 1341 के दक्षिणी हिस्से के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगती है एवं अप्रार्थी सं. 7 लगायत 18 व नोरंगलाल पुत्र गणपतराम के नाम से भूमि ख.नं. 1168 व अप्रार्थी सं. 22 लगायत 25 व इन्द्राज पुत्र चिमना के नाम से खातेदारी में दर्ज भूमि ख.नं. 1167 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1531 / 1341, 1174 के दक्षिण दिशा में लगती है एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 व लिक्ष्मण पुत्र माला के नाम से दर्ज खातेदारी की भूमि ख.नं. 1530 / 1341 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख नं. 1531 / 1341 के पश्चिम दिशा में लगती है। ख.नं. 1530 / 1341, 1532 / 1341 के खातेदार [illegible] 2 व 3 है लिक्ष्मण पुत्र माला अविवाहित फौत हो चुका है जिसके विधिक [illegible] है जिसके विधिक [illegible] ख.नं. 1168 के दर्ज खातेदार नोरंगलाल पुत्र गणपतराम का देहान्त [illegible] वारिश अप्रार्थी सं. 19 लगायत 21 है, ख.नं. 11[illegible] देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिश 22 लगायत 24 [illegible] 3 के दर्ज [illegible] रघुवीर पुत्र शैतान का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिश अ[illegible] सं. 4 व 6 है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के चारो तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि लगती है अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.14 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है और मौका मिलने पर सीमाओं को खुर्द बुर्द कर देते है। इस कारण प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से परेशान होकर अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाने का निश्चय किया।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि ग्राम तातीजा तहसील खेतडी स्थित भूमि ख.नं. 1531/1341 रकबा 1.70 है., ख.नं. 1174 रकबा 0.39 है. सर्वेसीट से नपती करवाकर उक्त खसरा नंबर 1531/1341, 1174 की चारों सीमाओं पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थना पत्र दरतावेजी साक्ष्य में नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 01.01.2024, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या नया 379, 320, 1, 8, 203, 11 ग्राम तातीजा पेश की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 379 में दर्ज खसरा नम्बर 1531/1341 रकबा 1.70 है0 व खाता संख्या 320 में दर्ज खसरा नंबर 1174 रकबा 0.39 है0 भूमि सुवाराम पुत्र माडूराम हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। अर्थात उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की एकाकी खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थी ने दिनांक 01.01.2024 को सीमाज्ञान भी करवाया था जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, के अवलोकन से सावित है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1531/1341 व 1174 रकबा 3.81 है0 का सीमाज्ञान विधिवत् रूप से करवाया है, उक्त सीमाज्ञान के आधार पर ही प्रार्थी पुनः वादग्रस्म भूमि की नपति कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जो विधि सम्मत् हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता हैं।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, खेतडी को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम तातीजा तहसील खेतडी स्थित भूमि ख.नं. 1531/1341 रकबा 1.70 है., ख.नं. 1174 रकबा 0.39 है. का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.01.2024 के आधार पर सर्वेशीट से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः नपति करवाकर रू. 600/– की फीस पर पत्थरगढी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीध्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 05–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.14 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतडी